सरकार बनाम मगंलाराम रेफरेन्स प्रकरण संख्या 41/2005

12.09.2018

सरकारी वकील उपस्थित। अप्रार्थी के वकील उपस्थित। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.03.2008 के द्वारा प्रकरण राजस्व मंडल अजमेर को प्रकरण रेफरेन्स किया गया था। राजस्व मंडल द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या रेफरेन्स/एल आर/5753/2008/जालोर अनवान सरकार बनाम मंगलाराम पुत्र तिलोकाराम चौधरी साकिन सराणा हाल मोदरा तत्समय तहसील भीनमाल में पारित निर्णय दिनांक 05.07.2017 के द्वारा रेफरेन्स अस्वीकार कर इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित कर निर्देश दिए कि मामले की पुन: जांच कर दिनांक 15.08.1947 से संबंधित राजस्व अभिलेख को अभिलेख पर लेकर यदि प्रकरण बाद जांच रेफरेन्स योग्य पाया जावे तो पुन: राजस्व मंडल में रेफरेन्स किया जावे।

प्रकरण में धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अवलोकन किया गया। धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अनुसार रेफरेन्स प्रकरण का परीक्षण हेतु मूल पत्रावली राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में पुन: परीक्षण करे और बाद परीक्षण पुन: रेफरेन्स मंडल को अभिशंषित करने की कार्यवाही करे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सही-
जिला कलेक्टर
जालोर